

प्रारूप- 1

अध्यक्ष, छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा जांजगीर-चौपा, जिला न्यायालय परिसर जांजगीर(छ0ग0)

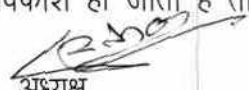
निविदा विज्ञापित क 02/2026

जांजगीर, दिनांक 07.05.2026

छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जांजगीर-चौपा(छ0ग0) की ओर से जिला न्यायालय परिसर जांजगीर स्थित दुकान क. 02 या 03 में फोटोकापी/पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म से मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अनुसंलग्नक-1 जो जिला न्यायालय के वेबसाईट <https://janjgir.dcourts.gov.in/> में अपलोड किया गया है तथा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन/जारी तिथि से दिनांक 22-05-2026 तक कार्यालयीन दिवस में आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु आवेदन अध्यक्ष/सचिव छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जांजगीर-चौपा(छ0ग0) से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं अथवा वेबसाईट में अपलोड प्रपत्र का प्रिंट किया जाकर आवेदन किया जा सकता है-

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 22-05-2026 शाम- 05:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि (फोटोकापी/पब्लिक यूटिलिटी सर्विस संचालन हेतु) सामने दुकान क. 02 या 03	दिनांक 23-05-2026 शाम- 05:30 बजे
निविदा खोलने का स्थान	सभा कक्ष, जिला न्यायालय जांजगीर

टीप- यदि निविदा की अंतिम तिथि या निविदा खोलने के दिन किसी कारण अवकाश हो जाता है तो वह स्वतः अगले कार्य दिवस के लिए परिवर्तित हो जायेगी।


अध्यक्ष

छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला जांजगीर-चौपा (छ0ग0)

दिनांक- 07.05.2026

स्थान- जांजगीर

प्रारूप- 2

ANNEXURE-1

आवेदन का प्रारूप

- 1- दुकान का क्रमांक(02 या 03) जिसके लिए निविदा जमा किया जा रहा है
- 2- आवेदक का नाम-
- 3- आवेदक का पूर्ण पता-
- 4- पहचान पत्र-
(स्व-प्रमाणित फोटोकापी संलग्न करना अनिवार्य है)
- 5- निविदा हेतु बोली की राशि-
(मासिक लायसेंस फीस/किराया)

शर्त:- निविदा की बोली की राशि का 25% अग्रिम राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से " अध्यक्ष तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी संघ जांजगीर" के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य है। अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि सफल बोलीकर्ता को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों को निविदा खुलने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

- 6- डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्र०-
- 7- जारीकर्ता बैंक व शाखा का नाम-

नोट- आवेदन को उचित एवं पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है। अपूर्ण रूप से भरे गए आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा। आवेदक के साथ वैध पचाहन पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है साथ ही डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है, अपालन की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

घोषणा-पत्र

मैं पिता/पुत्र/पुत्री/पत्नि/पति
यह घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार दी गयी गई समस्त जानकारी सत्य है एवं मैं जिला न्यायालय परिसर स्थित दुकान क्र. /(फोटोकापी/पब्लिक यूटिलिटी सर्विस) संचालन हेतु माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्र० 432/रूल्स/2025 दिनांक 08.01.2025 के निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी/ यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा गलत जानकारी दी गयी है अथवा मेरे द्वारा उक्त नियम के किसी भी कंडिका का उल्लंघन करना पाया जाता है तो मेरे अनुबंध को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

प्रारूप- 3

अनुसंलग्न-1 (नियम व शर्तें)

- 1- आमंत्रित किए गए निविदा को किसी भी समय संक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त या परिवर्तित किया जा सकेगा।
- 2- दुकान क्र. 02 एवं 03 (फोटोकापी/पब्लिक यूटिलिटी सर्विस) संचालन हेतु प्रत्येक दुकान का न्यूनतम बोली राशि 4000/- (चार हजार रूपए) संघ द्वारा निर्धारित की गयी है। निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 22-05-2026 को शाम 5:00 बजे तक है।
- 3- निविदा को नीचे दिये गये पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/हमदस्त के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।

**पता:- अध्यक्ष, छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जांजगीर-चौपा,
जिला न्यायालय परिसर जांजगीर (छ0ग0)**

- 4- सभी निविदाएं समाचार पत्र में प्रकाशित अंतिम तिथि के शाम 05:00 बजे तक बंद लिफाफा में, जिसके उपर दुकान क्र0/.....संचालन हेतु निविदा, एवं अंदर रखे दस्तावेजों का विवरण लिखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें बिना खोले वापस कर दिया जावेगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगा।
- 5- दिनांक 23-05-2026 को शाम 05:30 बजे संचालन समिति के अध्यक्ष/सदस्य के द्वारा निविदाकर्ता/आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जावेगा।
- 6- सभी आवेदन खोलने पश्चात् सबसे अधिक बोली लगाने वाले आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाएगा व उसे दुकान क्र. /..... (फोटोकापी/पब्लिक यूटिलिटी सर्विस) संचालन की अनुमति अनुबंध के आधार पर दिया जाएगा तथा शेष आवेदकों को उनके द्वारा जमा किया गया अग्रिम राशि यथा संभव 07 दिवस के अंदर वापस कर दिया जायेगा।
- 7- अ- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चौपा के पास फोटोकापी/पब्लिक यूटिलिटी सर्विस चलाने के अनुबंध को किसी भी समय पूर्व सूचना दिए बिना निरस्त करने का अधिकार संरक्षित रहेगा।
ब- फोटोकापी/पब्लिक यूटिलिटी सर्विस संचालक भी किसी भी समय 45 दिवस के पूर्व सूचना देकर अनुबंध का परित्याग कर सकता है।
- 8- किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनुमोदन पश्चात् समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 9- जिस आवेदक की बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की राशि का शेष 75% राशि 07 कार्य दिवस के भीतर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से " **अध्यक्ष तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी संघ जांजगीर**" के नाम से या संघ के खाते में सीधे जमा करना होगा। असफल रहने की दशा में आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ जमा की गई अग्रिम राशि को राजसात कर लिया जायेगा। सफल बोलीकर्ता को बोली की संपूर्ण राशि जमा करने के उपरांत ही फोटोकापी/पब्लिक यूटिलिटी सर्विस संचालन हेतु अनुबंध के आधार पर अधिकृत किया जावेगा। अनुबंध का व्यय दुकान संचालक द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

- 10- दुकान संचालक को दुकान का विद्युत बिल, पानी बिल, एवं मेंटनेंस हेतु देय राशि अदा करना होगा।
- 11- फोटोकापी/पब्लिक यूटिलिटी सर्विस संचालक को दो माह का अग्रिम किराया राशि संघ के खाते में बतौर सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। बोली राशि अनुबंध दिनोंक से 01 वर्ष तक के लिए होगा। इसके पश्चात् 5% प्रतिवर्ष किराया राशि में वृद्धि की जावेगी।
- 12- सफल बोलीकर्ता को आबंटित दुकान में स्वयं की फोटोकापी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त फोटोकापी/पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का संचालन स्वयं करेगा। यदि ऑपरेटर/कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो उसका भुगतान दुकान संचालक को स्वयं करना होगा।
- 13- फोटोकापी/पब्लिक यूटिलिटी सर्विस संचालक कैन्टीन के रहते हुए खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों की बिक्री नहीं करेगा। बिड़ी, सिगरेट, पाउच, तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री करना पूर्णतः प्रतिबंधित है, यदि बिक्री करते पाया जाता है तो अविलंब अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जायेगी।
- 14- निविदाकर्ता यदि फर्म है तो उसे अपने फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।
- 15- अपरिहार्य कारणों से निविदा निरस्त किए जाने का अधिकार संचालन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।


अध्यक्ष

छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला जांजगीर-चोंपा (छ0ग0)